



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022023-243940
CG-DL-E-28022023-243940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2023/फाल्गुन 8, 1944

No. 858]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2023/PHALGUNA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 फरवरी, 2023

का.आ. 895(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 5603 (अ) तारीख 01 दिसंबर 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -2ए खंड-3, उपखंड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के कामठी, तहसिल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि.मी. 652.000 से कि.मी. 723.000 जबलपुर-नागपुर सेक्शन के निर्माण (चैडा करने/चार लेन का बनाने, अतिरिक्त भूमि आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है. के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 06 जनवरी 2023 तारीख को “तरुण भारत” और “नवभारत” दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपों का अननुज्ञात कर दिया है:

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि.मी. 652.000 से किमी 723.000 तक के भूखण्ड को बाईपास के निर्माण और पुनःसंरक्षणों सहित, के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रहीत अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कम्पटी				
	गांव का नाम: आवंडी				
1	123/1	निजी(कृषि)	कृषि	0.04	मुहम्मद इरफान इदरीस कालीवाला (0.04 एचआर लैंड एक्वायर्ड) मंजुदेवी अनंतकुमार अग्रवाल (लैंड आईएस नोट एफेक्टेड) (123/1)
			कुल	0.04	

[फा. सं. NHA/PIU/NGP/NH-72014/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

S.O. 895(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. No. 5603 (E), dated the 1st December 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, in Kamptee, Tahsil on the stretch from Km. 652.000 to

Km.723.000 (Jabalpur-Nagpur Section) in Nagpur District, in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Tarun Bharat", and "Navbharat" both Dated 06th January 2023, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure, to be acquired for building (widening) including construction of bypass and realignment National Highway No. 7 on stretch from Km. 652.000 to Km. 723.000 in Nagpur District, in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: NAGPUR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kamptee				
	Village: Awandhi				
1	123/1	Private(Agriculture)	Agriculture	0.04	Mohammad Irfan Idris Kaliwala (0.04 Hr land acquired) Manjudevi Anantkumar Agrawal (Land is not affected) 123/1
			TOTAL	0.04	

[F. No. NHAI/PIU/NGP/NH-72014/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.